

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ. 4(1)(315)/पोषा/ICDS/2013/17514-417


जयपुर, दिनांक:
1-10-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय:- स्वयं सहायता समूह का अमृता सोसाइटी एवं राजीविका से
पंजीकृत होने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 में बिना निविदा क्रय करने हेतु अधिसूचना दिनांक 13.09.2017 के द्वारा नियम-32 के एस.ओ. 135 के क्रम संख्या 54 पर अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन किए जाने की सूची में "पूरक पोषण" को भी सम्मिलित किया गया है। जिसके अनुसार सभी स्वयं सहायता समूह अमृता सोसाइटी एवं राजीविका से पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः उक्तानुसार समस्त बाल विकास परियोजनाओं में कार्यशील पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों की सूची मुख्यालय में प्रेषित करें एवं जिन स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उनका पंजीकरण कर सूचना सात दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।



(जिज्ञासा गौड)

अतिरिक्त निदेशक(पोषाहार)

क्रमांक-एफ. 4(1)(315)/पोषा/ICDS/2013/175418-450 जयपुर, दिनांक:
प्रतिलिपी -उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त। 1-10-18



(जिज्ञासा गौड)

अतिरिक्त निदेशक(पोषाहार)